रेल दावा अधिकरण, इलाहाबाद न्यायपीठ

वाद संख्या– OA/IIu/ALD/292/2020 (OA/IIu/LKO/1278/2015)

पीठासीनः
श्री मुकेश निगम, माननीय उपाध्यक्ष (तकनीकी)/ इलाहाबाद न्यायपीठ
श्री संजीव अग्रवाल, माननीय सदस्य (न्यायिक)/इलाहाबाद न्यायपीठ

संस्थन की तिथिः 16.12.2015
निर्णय की तिथिः .07.2024

1. जगदीश पाल पुत्र स्व. सुन्नू पाल
2. श्रीमती सुनीता पाल पत्नी जगदीश पाल

दोनों निवासी– मकान नं. 416, निकट– रेलवे स्टेशन दतिया, पुलिस स्टेशन– कोतवाली दतिया, जिला– दतिया (म0प्र0)।

.....याचीगण

बनाम

भारत संघ,

द्वारा महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद

.....उत्तरदाता

दावा राशिः रू. 20,00,000/– मय ब्याज

उपस्थितिः

याची की ओर से– श्री जे.एस.पाण्डेय, अधिवक्ता।

उत्तरदाता की ओर से– श्री ए.वी.सिंह, अधिवक्ता।

निर्णय

श्री संजीव अग्रवाल, माननीय सदस्य (न्यायिक):

1. याची जगदीश पाल व अन्य ने यह याचिका रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा–16 के अन्तर्गत दिनांक 03.08.2015 को अपने पुत्र राहुल पाल की रेल दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के परिणामस्वरूप, उस पर अपनी आश्रितता के आधार पर भारत संघ, द्वारा महाप्रबंधक, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद के विरूद्ध क्षतिपूर्ति की याचना के साथ प्रस्तुत की है। याचीगण के अभिकथन के अनुसार, मृतक दिनांक 03.08.2015 को ट्रेन नं. 51832 आगरा–झांसी पैसेन्जर ट्रेन से दतिया से झांसी की यात्रा के दौरान ट्रेन से नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक का दतिया से झांसी तक का द्वितीय श्रेणी रेल यात्रा टिकट दुर्घटना के दौरान गुम हो गया।

2. उत्तरदाता की ओर से लिखित कथन प्रस्तुत करते हुए, याची के उपरोक्त अभिकथन से पूर्णतः इन्कार किया गया है और याचिका का इस आधार पर विरोध किया गया है कि मृतक न तो प्रश्नगत रेलगाड़ी से यात्रा कर रहा था और न ही मृतक प्रश्नगत ट्रेन से गिरा। अतः यह घटना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 123 (सी) (2) सपठित धारा 124–ए की परिधि में नहीं आती है। तद्नुसार, दावा याचिका खारिज किये जाने योग्य है।

वाद–बिन्दु

3. पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर इस याचिका के निर्णय के लिए दिनांक 15.07.2021 को वाद बिन्दु बनाये गये, जिनका हिन्दी रूपान्तरण निम्नवत् हैः–

   1. *क्या घटना के समय मृतक प्रश्नगत रेलगाड़ी का सद्भावी यात्री था?*
   2. *क्या मृतक की मृत्यु से संबंधित घटना रेलवे अधिनियम की धारा–123 (सी) (2) सपठित धारा 124 (ए) के अन्तर्गत परिभाषित अनपेक्षित घटना की परिधि में आती है?*
   3. *धारा–123 (बी), रेलवे अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत परिभाषित आश्रित की परिधि के अन्तर्गत, क्या आवेदकगण मृतक के आश्रित हैं?*
   4. *याचीगण किस उपशम को प्राप्त करने का अधिकारी हैं?*

5. याचीगण द्वारा अपने अभिकथन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एडब्ल्यू–1 के रूप में प्रस्तुत किया है तथा उनका प्रतिपरीक्षण उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.07.2023 को किया गया। प्रलेखीय साक्ष्य के रूप में याचीगण की ओर से अपना आधार कार्ड प्रदर्श ए–1, मेमो एवं जी.डी.रिपोर्ट प्रदर्श ए–2, पंचनामा प्रदर्श ए–3, शव विच्छेदन रिपोर्ट प्रदर्श ए–4, दतिया नगर पालिका परिषद वारिस एवं निवास प्रमाण पत्र प्रदर्श ए–5 व प्रदर्श ए–6 पर प्रस्तुत किया गया है।

6. उत्तरदाता की ओर से अपने अभिकथन के समर्थन में वैधानिक विवेचना आख्या (प्रदर्श आर–1) एवं सी.एम.आई. रिपोर्ट (प्रदर्श आर–2) प्रस्तुत की गयी है।

7. याचीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री जे.एस.पाण्डेय व उत्तरदाता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री ए.वी.सिंह द्वारा की गयी बहस को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सम्यक् अवलोकन एवं परिशीलन किया गया।

विनिश्चय

वाद–बिन्दु संख्या– 1 व 2

8. उपरोक्त वाद–बिन्दु एक–दूसरे से सम्बन्धित होने के कारण दोनों वाद–बिन्दुओं के निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

9. इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। याचीगण के द्वारा दावे के साथ मेमो एवं जी.डी. रिपोर्ट (प्रदर्श ए–2) की सत्यापित प्रति संलग्न है तथा मेमों में अंकित है कि– *"स्टेशन मास्टर करारी ने सूचित किया है कि किमी. नं. 1137/19–21 सेक्शन झांसी–करारी के बीच किसी अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है अग्रिम कार्यवाही हेतु आपके समक्ष प्रषित है।"* पत्रावली पर उपलब्ध पंचनामा (प्रदर्श ए–3) में पंचों के अनुसार– *"मृतक की मृत्यु क्रासिंग के पास ट्रेन से गिर कर गरदन कटने से हुई है।"* एस.आई की राय भी पंचों की राय से मेल खाती है। मृतक के चोटों की वर्णित स्थिति के अनुसार, ट्रेन से गिरकर मृतक की गर्दन करीब 75 प्रतिशत कटने से हुई है तथा बाएं हाथ में फ्रैक्चर है प्रतीत हो रहा है कि टूट गया है तथा शरीर के अन्य भागों पर भी चोटें नीलगू एवं खरोंच हैं एवं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक की मृत्यु के सम्बन्ध में अंकित है कि– *"shock as a result of anti mortem injuries."* पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी उपरोक्त वर्णित चोटों की पुष्टि हुयी है।

10. उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत सी.एम.आई. रिपोर्ट (प्रदर्श आर–2) में यह अंकित है कि प्रश्नगत ट्रेन दिनाँक 03.08.2015 को करारी रेलवे स्टेशन पर 1137 बजे आयी तथा 1146 बजे करारी रेलवे स्टेशन से रवाना हुई एवं उपस्टेशन प्रबंधक करारी की स्टेशन डायरी में इस विवरण की प्रतिलिपि उत्तरदाता द्वारा प्रस्तुत की गयी जिसमें अंकित है कि 1240 बजे MN-Dn के ड्राईवर ने बताया कि किमी. सं. 1137/21 पर अप एण्ड डाउन ट्रैक के मध्य एक डेड बाडी पड़ी है।

11. याचीगण की ओर से प्रस्तुत एडब्ल्यू–1 श्री जगदीश पाल वह साक्षी है जिसके सामने मृतक ने दिनांक 03.08.2015 को प्रश्नगत रेल यात्रा के लिए द्वितीय श्रेणी का टिकट खरीदा था। इस साक्षी ने अपने साक्ष्य से मृतक द्वारा टिकट लेकर उसके सामने प्रश्नगत रेलगाड़ी में सवार होने के तथ्य का उल्लेख किया है। उसके प्रतिपरीक्षण के दौरान ऐसा कोई तथ्य उद्घाटित नहीं किया जा सका जो उसके साक्ष्य को खण्डित कर सके। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***भारत संघ बनाम रीना देवी (2018 ए. सी.जे. 1441)*** मामले में स्थापित सिद्धान्त के आधार पर मृतक को सद्भावी रेल यात्री मानने में कोई विधिक बाधा नहीं है।

12. इस प्रलेखीय साक्ष्य के आधार पर हम इस सुविचारित मत पर पहुँचे हैं कि मृतक की मृत्यु चलती ट्रेन से गिरने के फलस्वरूप आयी चोटों के कारण हुयी।

13. दूसरी तरफ उत्तरदाता की ओर से प्रस्तुत वैधानिक विवेचना आख्या में जाँच के दौरान प्राप्त दस्तावेजों के हवाले से यह कहा गया है कि– *"मृतक राहुल घटनास्थल पर असावधानी पूर्वक रेलवे लाइन पार (क्रास) कर रहा होगा तभी किसी गाड़ी से टकराकर आयी गम्भीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी होगी।"*

14. प्रश्नगत प्रकरण में उत्तरदाता की ओर से किसी चालक अथवा गार्ड की ओर से एवं अन्य कोई ऐसा साक्ष्य, जो मृतक के किसी ट्रेन के सामने आकर कट जाने का संकेत करता हो, नहीं प्रस्तुत किया गया है जबकि दावा पत्र के साथ संलग्न मेमो व जी.डी. रिपोर्ट (प्रदर्श ए–2) में मृतक के शव को झांसी–करारी सेक्शन किमी. नं. 1137/19–21 पर पाये जाने का उल्लेख है। याचीगण की ओर से प्रस्तुत पंचायतनामा से यह साबित है कि मृतक की मृत्यु गाड़ी से गिरकर हुई थी। पुनः, उत्तरदाता का

ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि मृतक की मृत्यु किसी स्वकारित चोट या किसी आपराधिक लापरवाही के कारण हुई है।

15. उत्तरदाता रेलवे ने अपने कथन में कहा है कि मृतक की मृत्यु उसकी स्वयं की लापरवाही के कारण हुई है जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रीना देवी बनाम भारत संघ (CA No 4945 of 2018(SLP (Civil)No.10223 @ D.No.6059/2018) में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि,

"16.6 We are unable to uphold the above view as the concept of 'self-inflicted injury' would require intention to inflict such injury and not mere negligence of any particular degree.

Doing so would amount to invoking the principle of contributory negligence which cannot be done in the case of liability based on 'no fault theory'. We may in this connection refer to judgment of this Court in United India Insurance Co Ltd., versus Sunil Kumar laying down that plea of negligence of the victim cannot be allowed in claim based on 'no fault theory' under Section 163A of the Motor Vehicles Act, 1988. Accordingly, we hold that death or injury in the course of boarding or de-boarding a train will be an 'untoward incident' entitling a victim to the compensation and will not fall under the proviso to Section 124A merely on the plea of negligence of the victim as a contributing factor."

16. अतः माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रीना देवी के मामले में प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार याचीगण यह सिद्ध करने में सफल रहे हैं कि मृतक सद्भावी यात्री होकर ट्रेन से यात्रा कर रहा था तथा मृतक की मृत्यु रेलगाड़ी से गिर जाने के परिणामस्वरूप आयी चोटों के कारण हुयी है।

17. अतः उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में इस वाद के तथ्यों, परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के प्राबल्य के आधार पर एवं पत्रावली पर मौजूद सभी दस्तावेजों एवं विधिक सिद्धान्तों का सम्यक् अवलोकन व परिशीलन करने के उपरान्त यह विनिश्चित किया जाता है कि मृतक सद्भावी यात्री होकर ट्रेन से यात्रा कर रहा था तथा मृतक की मृत्यु रेलगाड़ी से गिर जाने के परिणामस्वरूप आयी चोटों के कारण हुयी है, जो कि रेल अधिनियम, 1989 की धारा– 123 (सी) (2), सपठित धारा 124–ए के अन्तर्गत परिभाषित 'अनपेक्षित

रेल दुर्घटना' की परिधि में आती है। अतः वाद बिन्दु संख्या 1 व 2 तद्नुसार, याचीगण के पक्ष में विनिश्चित किये जाते हैं।

वाद बिन्दु संख्या– 3

18. विचारणीय बिन्दु यह है कि मृतक के आश्रित कौन हैं? इस सम्बन्ध में एडब्ल्यू–1 जगदीश पाल ने अपने शपथ पत्र के प्रस्तर–9 में यह अभिकथन किया है कि याचीगण जगदीश पाल स्वयं (मृतक के पिता) के अलावा आवेदक सं. 2 सुनीता पाल (मृतक की माता) ही मृतक के आश्रित की परिधि में आते हैं और प्रतिकर पाने के अधिकारी हैं तथा एडब्ल्यू–1 ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह भी कथन दिये हैं कि मृतक अविवाहित था। याचीगण द्वारा आधार कार्ड की प्रतियाँ व दतिया नगर पालिका परिषद द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र प्रति (प्रदर्श ए–5) प्रस्तुत की गयी है। प्रतिवादी पक्ष की ओर से इस सम्बन्ध में कोई खण्डित साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः आश्रितता के सम्बन्ध में याचीगण का कथन पूर्णतः सिद्ध होता है। अतः याचीगण ही रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा– 123 (बी) में निहित प्रावधानों के प्रकाश में मृतक के 'आश्रित' की परिधि में आते हैं और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इस प्रकार वाद बिन्दु सं. 3 याचीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

वाद बिन्दु संख्या– 4

19. वाद बिन्दु संख्या– 1, 2 और 3 याचीगण के पक्ष में निर्णीत किये जा चुके हैं। अतः रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा–124 (ए) के अन्तर्गत याचीगण क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अधिकारी हैं। उक्त घटना दिनांक 03.08.2015 को घटित हुयी थी अर्थात् दिनांक 01.01.2017 से पहले की घटना है। अतः रेल दुर्घटना एवं अनपेक्षित घटना नियमावली, 1990, जिसे भारत सरकार के असाधारण राजपत्र संख्या 877, दिनांक 22.12.2016 द्वारा संशोधित करते हुए दिनांक 01.01.2017 से प्रभावित किया गया है, में दी गयी व्यवस्था के अनुसार, याचीगण क्षतिपूर्ति के रूप में रू. 8,00,000/– (रूपये आठ लाख मात्र) प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

आदेश

20. याचीगण की याचिका स्वीकार की जाती है। उत्तरदाता को निर्देशित किया जाता है कि वह कुल रू. 8,00,000/– (रूपये आठ लाख मात्र) क्षतिपूर्ति के रूप में अदा करें।

21. जहॉ तक एवार्ड राशि को याचीगण में वितरण का सवाल है, इस सम्बन्ध में मा. उच्च न्यायालय, दिल्ली द्वारा प्रकरण गीता देवी बनाम भारत संघ मामले में लिये गये ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए एवार्ड राशि का भुगतान निम्न प्रकार से किया जायेगा–

क्रम सं0	लाभार्थी का नाम	मृतक से सम्बन्ध	एवार्ड की गयी धनराशि	पार्टी के खाते में ई.सी.एस. से भुगतान की जाने वाली राशि	राशि, जो सावधि जमा खाता में तीन वर्षों के लिए जमा की जानी है
1.	जगदीश पाल	पिता	4,00,000/–	40,000/–	3,60,000/–
2.	श्रीमती सुनीता पाल	माता	4,00,000/–	40,000/–	3,60,000/–

क. याची सं. 1 को भुगतान की जाने वाली राशि रू. 4,00,000/– (रूपये चार लाख मात्र) में से 10 प्रतिशत की राशि रू. 40,000/– (रूपये चालीस हजार मात्र) उनके एकल बचत खाते में ई.सी.एस. के माध्यम से भुगतान की जायेगी तथा शेष धनराशि रू. 3,60,000/– (रूपये तीन लाख साठ हजार मात्र) 03 वर्ष की सावधि जमा (F.D.) के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी, जिसका ब्याज याची सं. 1 अपने एकल बचत बैंक खाते में प्राप्त करेगा।

ख. याची सं. 2 को भुगतान की जाने वाली राशि रू. 4,00,000/– (रूपये चार लाख मात्र) में से 10 प्रतिशत की राशि रू. 40,000/– (रूपये चालीस हजार मात्र) उनके एकल बचत खाते में ई.सी.एस. के माध्यम से भुगतान की जायेगी तथा शेष धनराशि रू. 3,60,000/– (रूपये तीन लाख साठ हजार मात्र) 03 वर्ष की सावधि जमा (F.D.)

के रूप में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी, जिसका ब्याज याची सं. 2 अपने एकल बचत बैंक खाते में प्राप्त करेगा।

22. मूल नियत निक्षेप, बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाएंगे तथापि, एफडीआर संख्या, एफडीआर रकम, परिपक्वता की तारीख और परिपक्वता की रकम अंतर्विष्ट करने वाला विवरण बैंक द्वारा दावाकर्ता को प्रस्तुत किया जाएगा।

23. याचीगण को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने निवास स्थान के निकट स्थित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में आधार से जुड़े अपने एकल बचत बैंक खाते का विवरण इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक को, उत्तरदाता द्वारा एवार्ड राशि का भुगतान इस न्यायाधिकरण के सूटर्स बैंक खाते में किये जाने के बाद से, एक माह के अंदर उपलब्ध करायें। बैंक उनके बचत बैंक खाते या सावधि जमा खाते में किसी भी संयुक्त नाम को जोड़ने की अनुमति नहीं देगा अर्थात् उनका बचत खाता एकल बचत खाता होगा, संयुक्त खाता नहीं होगा।

24. सावधि जमा (F.D.) की परिपक्वता राशि याचीगण को उनके सम्बंधित बचत बैंक खाते में इलेक्ट्रानिक क्लियरिंग सिस्टम (ई.सी.एस.) द्वारा जमा की जायेगी।

25. बैंक, याचीगण की पासबुक पर इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि कोई भी चेकबुक या डेबिट कार्ड जारी नहीं किया गया है। सभी याची विधिवत आवश्यक पृष्ठांकन के साथ बैंक मैनेजर द्वारा हस्ताक्षरित एवं मुहर लगी पासबुक इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंक को यह निर्देश दिया जाता है कि वह याचीगण को केवल निकासी फार्म के माध्यम से अपने बचत खाते से पैसा निकालने की अनुमति देगा।

26. प्रतिवादी रेलवे को निदेशित किया जाता है कि निर्णीत प्रतिकर की एवार्ड धनराशि, निर्णय की प्रति प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक के सूटर्स बैंक खाता में जमा करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 60 दिन के भीतर प्रतिकर धनराशि नहीं जमा करता है, तो निर्णय की तिथि से प्रतिकर जमा करने की तिथि तक, 9 प्रतिशत मय साधारण ब्याज प्रतिकर धनराशि गणना सीट के साथ इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक के पास जमा करायें। इस न्यायाधिकरण के अपर निबंधक एवार्ड की

धनराशि का, याचीगण द्वारा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात्, 90 दिनों के भीतर भुगतान करें।

27. निर्णय की प्रति दोनों पक्षकारों को बिना किसी मूल्य के उपलब्ध करायी जाए और याचीगण को निर्णय की प्रति उसके निवास स्थान पर स्पीड पोस्ट से भेजा जाए। तद्नुसार, समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण होने के उपरान्त फाइल को दाखिल–दफ्तर किया जाए।

28. पत्रावली दिनांक 05.11.2024 को उक्त आदेश के अनुपालन सम्बन्धी जांच हेतु नियत की जाती है।

(संजीव अग्रवाल)
सदस्य (न्यायिक)

(मुकेश निगम)
उपाध्यक्ष (तकनीकी)

निर्णय आज दिनांक .07.2024 को खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

(संजीव अग्रवाल)
सदस्य (न्यायिक)

(मुकेश निगम)
उपाध्यक्ष (तकनीकी)